

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 224/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 19 मई, 2017
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त सभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़


विषय :- छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 की अधिसूचना

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार
दिनांक 19 मई, 2017 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से
लागू छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 अधिसूचित की गई है।

उक्त अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस. के. चक्रवर्ती) 19/05/2017
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 225/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/घार नया रायपुर, दिनांक 19 मई, 2017
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
 3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
 4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/
लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
 9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
 10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
 12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
 13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
 14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
 15. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट
WWW.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु


- 19/05/2017
(प्रेमा गुलाब एक्का)
अवर सचिव



वित्त निर्देश 19/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र 226/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार, नया रायपुर, दिनांक 19 मई, 2017
प्रति.

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, विलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत वेतन नियतन संबंधी निर्देश

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03303/वित्त/
नियम / चार, दिनांक 19 मई, 2017 द्वारा अधिसूचित तथा दिनांक 01 जनवरी, 2016
से लागू छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में नियत वेतन संरचना के अन्तर्गत
वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक द्वारा उक्त नियम की अनुसूची-दो के रूप में संलग्न प्रारूप में अपना विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। शासकीय सेवक से विकल्प प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख (अथवा इस हेतु कार्यालय प्रमुख द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी) द्वारा विकल्प के नीचे दिये गये प्रमाण पत्र में विकल्प के कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि अंकित करके उस पर प्रतिहस्ताक्षरित किया जावेगा।
2. प्रत्येक कार्यालय प्रमुख अथवा वह प्राधिकारी जिसके द्वारा शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका संधारित की जा रही है, प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार संलग्न वेतन नियतन पत्रक (प्रपत्र-एक) में वेतन निर्धारण करेगा।

HIC
14.07.2017

3. प्रारम्भिक वेतन का नियतन छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उक्त नियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल में निर्धारित कोष्टिका में किया जायेगा।

4. पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक हेतु वेतनवृद्धि तिथियां 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई होगी।

5. छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में वेतन निर्धारण के पश्चात् पदोन्नति के मामलों में वेतन निर्धारण उक्त नियमों के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त अवधि में एक लेवल से दूसरे लेवल में स्तरोन्नयन (क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, इत्यादि) के फलस्वरूप वेतन निर्धारण के प्रकरणों में वेतन मैट्रिक्स में स्तरोन्नयन के लेवल में वेतन निर्धारण हेतु वेतन जिस लेवल से शासकीय सेवक का स्तरोन्नयन होता है उस लेवल में वेतन के विनिर्दिष्ट कोष्टिका के अगली उच्चतर कोष्टिका में रखा जाएगा।

उदाहरण :-

1	सशोधित वेतन संरचना में लेवल लेवल 6	वेतन बैंड	5200-20200					
			ग्रेड	1800	1900	2200	2400	2800
2	सशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन 31200	वेतन						
3	लेवल 7 में स्तरोन्नयन स्वीकृत	लेवल	3	4	5	6	7	
4	उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 7 में वेतन 31400 (लेवल 6 में 31200 के उच्चतर राशि)	1	18000	19500	22400	25300	28700	
		2	18500	20100	23100	26100	29600	
		3	19100	20700	23800	26900	30500	
		4	19700	21300	24500	27700	31400	
		5	20300	21900	25200	28500	32300	
		6	20900	22600	26000	29400	33300	
		7	21500	23300	26800	30300	34300	
		8	22100	24000	27600	31200	35300	
		9	22800	24700	28400	32100	36400	
		10	23500	25400	29300	33100	37500	
		11	24200	26200	30200	34100	38600	

एक वेतन से दूसरे वेतन में परिवर्तित सम्बन्धी पदोन्नति / असाधारण डी प्रमोशन में शासकीय सेवक को पदोन्नति / असाधारण की तिथि अथवा अग्रणी अनुसूची की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प की पात्रता होगी। एकाधिक वेतन प्राप्त करने में पदोन्नति / असाधारण के अंतराल प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

6. उन्नीसवां वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के लागू होने की तिथि तथा इनके प्रकाशन की तिथि के बीच पदोन्नति / असाधारण के मामलों में इन नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत नियम 5 के परसूची के अधिन पुनरीक्षण द्वारा सम्बन्धी में जाने का विकल्प चुनने पर इन नियमों के प्रकाशन के दिन बाद के भीतर इन नियमों की अनुसूची-1 में विकल्प देने की पात्रता होगी। किरीटित कर्मी में विकल्प प्राप्त न होने पर यह मानते हुए कि शासकीय सेवक द्वारा पदोन्नति / असाधारण की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया है, उसका वेतन निर्धारण किया जाएगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। उक्त विकल्प की प्रविष्टि शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में भी की जायेगी। संघर्ष से बाहर कर्मचारी कर्मचारी में प्रविष्टि/अनुसूचित होने की स्थिति में यह विकल्प अनुज्ञेय नहीं होगा। तदर्थ पदोन्नति के मामलों में विकल्प की पात्रता नहीं होगी किन्तु तदर्थ पदोन्नति को नियमित किये जाने की स्थिति में निरन्तरिकरण अंतराल जारी किये जाने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प देने की अनुमति होगी।

7. सामान्यतः वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत अवशेष दावों के भुगतान हेतु सयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशान से जाच का कथन नहीं रहेगा किन्तु ऐसे मामलों में जहाँ शासकीय सेवक इन नियमों के लागू होने की तिथि के पश्चात् किन्तु अवशेष दावों के आहरण के पूर्व पदत्याग, पदच्युति, सेवानिवृत्ति अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवानिवृत्त होने के कारण सेवा में नहीं रहे हैं उन प्रकरणों में अवशेष दावों का भुगतान सयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशान द्वारा जाच के उपरान्त ही किया जायेगा। सयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशान द्वारा ऐसे प्रकरणों की जाच सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

8. पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर आहरित वेतन से सामान्य भविष्य निधि नियम 11(1)(ब) के प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियों के 12 प्रतिशत की दर से सामान्य भविष्य निधि अंशदान की कटौती की जावेगी। उक्त नियम के लिए "परिलब्धियों" का आशय पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन होगा। अवशेष वेतन देयक से नियमानुसार आयकर की राशि की कटौती भी अनिवार्यतः की जाए।

9. दिनांक 01/11/2004 के पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवक जो नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य हैं, के मामले में योजना में अंशदान हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत की कटौती की गणना पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन तथा उस पर मंहगाई भत्ता पर की जावेगी।

10. प्रत्येक शासकीय सेवक का वेतन नियतन पत्रक चार प्रतियों में तैयार किया जावेगा, जिसमें से एक प्रति कार्यालय में संदर्भ हेतु रखी जावेगी तथा दूसरी प्रति अवशेष वेतन देयक के साथ संलग्न की जावेगी। शेष दो प्रतियाँ संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दल को सेवा पुस्तिका आदि के साथ प्रस्तुत होगी। वेतन नियतन दल यथा आवश्यक एक प्रति रखकर दूसरी प्रति टीका/टिप्पणी सहित प्रस्तुतकर्ता कार्यालय को वापस करेंगे। वेतन नियतन दल द्वारा संबंधित शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में भी वेतन नियतन की मुद्रा अंकित की जावेगी जिसमें किये गये वेतन नियतन, आगामी वेतनवृद्धि की तिथि आदि से संबंधित जानकारी अंकित होगी।

11. प्रत्येक कार्यालय प्रमुख द्वारा संलग्न प्रपत्र-दो के अनुसार संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को यह प्रमाण भेजा जाये कि उनके कार्यालय में कार्यरत शासकीय सेवकों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन नियतन किया जा चुका है और प्रकरण जांच के लिये तैयार है। प्रमाण पत्र में कर्मचारियों की संख्या की जानकारी जिनका वेतन नियतन किया गया है, दी जावेगी। इसकी एक प्रति विभागाध्यक्ष को भी पृष्ठांकित होगी।

11.(ii) कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के वेतन नियतन दल के आगमन पर दल के समक्ष रागस्त प्रकरण आवश्यक अभिलेखों के साथ बगैर

से भी अधिक भुगतान की गई राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि दण्ड स्वरूप वसूली जायेगी।

13. ऐसे अस्थाई शासकीय सेवक जिनका सेवाकाल तीन वर्ष से कम हो, से उपरोक्त कडिका-15 में उल्लेखित वचन पत्र (Undertaking) के अलावा दो स्थाई शासकीय सेवकों की, जो आगामी एक वर्ष के पूर्व सेवानिवृत्त न हो रहे हों, प्रतिभूति (Surety) प्रपत्र-चार में प्राप्त की जाये। यदि यह संभव न हो तो संबंधित शासकीय सेवक उन अस्थाई शासकीय सेवकों की प्रतिभूति प्रस्तुत कर सकता है जो अर्द्धस्थाई हों अथवा जिन्होंने लगातार तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों तथा जिनकी आगामी एक वर्ष तक सेवा में बने रहने की संभावना हो। निर्धारित प्रपत्र में वचन पत्र (Undertaking) एवं प्रतिभूति सेवा पुस्तिका के साथ रखे जायें।

13.(ii) प्रत्येक वेतन नियतन प्रकरण की जांच संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन के दल से कराया जाना आवश्यक है तथा अनुमोदित वेतन नियतन पत्रक संबंधित शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका के साथ चिपकाया जायेगा।

14. प्रत्येक अवशेष वेतन देयक के साथ अन्य सामान्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इन प्रमाण पत्रों के बगैर कोषालय द्वारा देयक भुगतान हेतु पारित नहीं किये जायेंगे :-

(क) यह प्रमाण पत्र कि जिन शासकीय सेवकों के स्वत्व अवशेष वेतन देयक में सम्मिलित किये गये हैं, उनके वेतन नियतन प्रकरण निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक सेवा अभिलेख सहित, जो कि जांच के लिये आवश्यक है, जांच हेतु तैयार है तथा इसकी सूचना संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/विभागाध्यक्ष को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक द्वारा दे दी गई है।

(ख) यह प्रमाण पत्र कि प्रत्येक ऐसे शासकीय सेवक जिनका स्वत्व इस देयक में सम्मिलित किया गया है, ने निर्धारित प्रारूप में आवश्यक वचन पत्र (Undertaking) प्रस्तुत कर दिया है।

क. बाका बाला, अशकता बाका सुविधा तथा अन्य सुविधाएँ जो मूल वेतन से जुड़ी हों वही पूर्व के वेतन संरचना के अन्तर्गत पर ही देय होंगी। इसी प्रकार अन्य बाले जैसे पुत्र बाका, परिवारजन्य भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता तथा प्रतिनिधुक्ति भत्ता वेतन पुनरीक्षण के पत्रों के वेतन संरचना से लागू हों पर भुगतान होंगे।

ख. प्रदेश में उत्तरीसखण्ड वेतन पुनरीक्षण विधम 2017 लागू होने के पालनवशत सभी विधान सेवा वाली विभागों में लागूकियत वेतन संरचना का प्रकटान करावे। भविष्य में की जाने वाली नियुक्तिवाली सहायक वेतन संरचना के अनुसार की जावे।
सांगम - उपरोक्तानुसार ।

उत्तरीसखण्ड के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.के. चक्रवर्ती) 17/05/2017
संयुक्त सचिव



वित्त निर्देश 44/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 403/एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 8.8.2018

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त सभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अन्तर्गत बकाया वेतन का भुगतान
संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 224/2016-04-03303/वित्त/नियम/चार,
दिनांक 19 मई, 2017
वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 226/2016-04-03303/वित्त/नियम/चार,
दिनांक 19 मई, 2017
वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 241/2016-04-03303/वित्त/नियम/चार,
दिनांक 24 मई, 2017

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03303/वित्त/नियम/चार,
दिनांक 19 मई, 2017 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से
छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 लागू किया गया है, तथा दिनांक 1.7.2017 से
नियमित भुगतान किया जाकर 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2017 तक 18 माह के बकाया
वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।

2/ राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 30 जून,
2017 की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का नगद भुगतान 6 समान वार्षिक किश्तों
में करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम किश्त के रूप में माह जनवरी 2016 से मार्च 2016
तक के बकाया वेतन का भुगतान वर्ष 2018-19 में किया जाए। शेष किश्तों के भुगतान के
संबंध में यथासमय आदेश प्रसारित किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि हेतु अवशेष वेतन देयक तैयार कर कोषालय संहिता
भाग-1 के सहायक नियम 268 के प्रावधानों का पालन करते हुए आहरण किया जाए।

3/ शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक 1.1.2018 के उपरांत होने की स्थिति
में, उन्हें वेतन के शेष रहे एरियर्स का भुगतान सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को एकमुश्त नगद
रूप में शासकीय सेवक अथवा परिवार जैसी स्थिति हो, को किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती) 8/8/2018
संयुक्त सचिव

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु


8/8/18
(पूजा शुक्ला)
अवर सचिव

प्रपत्र 01

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2018 के अन्तर्गत वेतन नियमन पत्रक

शासकीय सेवक का नाम	डॉ. रामकिशोर तलवरे	
पदनाम जिस पर वेतन निर्धारण किया	सहायक प्राध्यापक	
स्थाई/स्थानापन्न	स्थानापन्न	
नियम 6 के अंतर्गत विकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का दिनांक	01.01.2016	
विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	37400 - 67000 + 9000	
विद्यमान वेतन बैंड	49830 + 9000 = 58830	
विद्यमान परिलब्धियां :-		
अ. मूल वेतन	58830	
ब. मूल वेतन पर दिनांक 01.01.16 से लागू महगाई भत्ता	73538	
योग (अ + ब)	132368	
8 अनुक्रमांक 5 में दर्शित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के अनुरूपी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेबल	13(A)	
9 अनुक्रमांक 6 में दर्शित मूल वेतन को 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि(निकततम रूपये में पूर्णांकित)	151193.01 / 151194	
10 प्रयोज्य लेबल में अनुक्रमांक 9 पर प्राप्त राशि के समान अथवा उससे उच्चतर कोष्टिका की राशि	152300	
11 पुनरीक्षित मूल वेतन(अनुक्रमांक 10 के अनुरूप)	152300	
12 नियम 5(7) एवं (7) के अंतर्गत कनिष्ठ शासकीय सेवक के संदर्भ में की गई वृद्धि के फलस्वरूप वेतन (कनिष्ठ कर्मचारी का नाम वेतन अंकित किया जाए)	N.A.	
13 नियम 7(8) के संदर्भ में स्थायी वेतन स्थानापन्न वेतन कम होने पर पुनरीक्षित वेतन(यदि लागू हो)	N.A.	
14 व्यक्तिगत वेतन , यदि कोई हो -नियम 7(4) तथा नियम 7(6)	N.A.	
15 वेतन निर्धारण के उपरान्त पुनरीक्षित परिलब्धियाँ		
(अ) पुनरीक्षित मूल वेतन	152300	
(ब) व्यक्तिगत वेतन, यदि पात्रता हो	Nil	
योग (अ + ब)	152300	
16 आगामी वेतन वृद्धि के बाद वेतन	01.07.2016	156900
	01.07.2017	161600
	01.07.2018	166400
	01.07.2019	
17 आगामी वेतन वृद्धि की तिथि	निरंक	
18 अन्य जानकारी		

स्थान : गरियाबन्द

दिनांक : 22.10.2018

A.R. Janyal
(डॉ. ए.आर.सी.जेम्स)

प्राचार्य

शास. वीर बरेन्द्र साय उनातकोत्तर महाविद्यालय
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द(छ.ग.)

22.10.

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2018 के अन्तर्गत वेतन नियमन पत्रक

प्रपत्र 01

1	शासकीय सेवक का नाम	श्री छन्नु लाल तारक	
2	पदनाम जिस पर वेतन निर्धारण किया	सहायक प्राध्यापक	
3	स्थाई / स्थानापन्न	स्थानापन्न	
4	नियम 6 के अंतर्गत विकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतन सरचना में वेतन का दिनांक	01.01.2018	
5	विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	15600 - 39100 + 6000	
6	विद्यमान वेतन बैंड	17610 + 6000 = 23610	
7	विद्यमान परिलब्धियां :- अ. मूल वेतन ब. मूल वेतन पर दिनांक 01.01.16 से लागू मंहगाई भत्ता योग (अ + ब)	23610 29513 <hr/> 53123	
8	अनुक्रमांक 5 में दर्शित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के अनुरूपी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेबल	10	
9	अनुक्रमांक 6 में दर्शित मूल वेतन को 2.57 से गुणा करने पर प्राप्त राशि(निकततम रूपये में पूर्णांकित)	60677.70 / 60678	
10	प्रयोज्य लेबल में अनुक्रमांक 9 पर प्राप्त राशि के समान अथवा उससे उच्चतर कोष्टिका की राशि	61200	
11	पुनरीक्षित मूल वेतन(अनुक्रमांक 10 के अनुरूप)	61200	
12	नियम 5(7) एवं (7) के अंतर्गत कनिष्ठ शासकीय सेवक के संदर्भ में की गई वृद्धि के फलस्वरूप वेतन (कनिष्ठ कर्मचारी का नाम वेतन अंकित किया जाए)	N.A.	
13	नियम 7(8) के संदर्भ में स्थायी वेतन स्थानापन्न वेतन कम होने पर पुनरीक्षित वेतन(यदि लागू हो)	N.A.	
14	व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो -नियम 7(4) तथा नियम 7(6)	N.A.	
15	वेतन निर्धारण के उपरान्त पुनरीक्षित परिलब्धियों (अ) पुनरीक्षित मूल वेतन (ब) व्यक्तिगत वेतन, यदि पात्रता हो योग (अ + ब)	61200 Nil 61200	
16	आगामी वेतन वृद्धि के बाद वेतन	01.07.2016 01.07.2017 01.07.2018	63000 64900 66800
17	आगामी वेतन वृद्धि की तिथि	01.07.2019	
18	अन्य जानकारी	निरंक	

स्थान : गरियाबन्द

दिनांक : 22.10.2018


(डॉ. ए.आर.सी. जेम्सा)
प्राचार्य

शास. और प्रो. प्रो. राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द(छ.ग.)

प्रपत्र 01

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2018 के अन्तर्गत वेत नियमन पत्रक

शासकीय सेवक का नाम	श्री नीलाम्बर पटेल
पदनाम जिस पर वेतन निर्धारण किया	सहायक प्राध्यापक
स्थाई / स्थानापन्न	स्थानापन्न
नियम 6 के अंतर्गत विकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का दिनांक	30.08.2017
विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	15600 - 39100 + 6000
विद्यमान वेतन बैंड	15600 + 6000 = 21600
विद्यमान परिलब्धियां :-	
अ. मूल वेतन	21600
ब. मूल वेतन पर दिनांक 01.01.16 से लागू मंहगाई भत्ता	27000
योग (अ + ब)	48600
8 अनुक्रमांक 5 में दर्शित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के अनुरूपी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेबल	10
9 अनुक्रमांक 6 में दर्शित मूल वेतन को 2.67 से गुणा करने पर प्राप्त राशि(निकततम रूपये में पूर्णांकित)	55512
10 प्रयोज्य लेबल में अनुक्रमांक 9 पर प्राप्त राशि के समान अथवा उससे उच्चतर कोष्टिका की राशि	57700
11 पुनरीक्षित मूल वेतन(अनुक्रमांक 10 के अनुरूप)	57700
12 नियम 5(7) एवं (7) के अंतर्गत कनिष्ठ शासकीय सेवक के संदर्भ में की गई वृद्धि के फलस्वरूप वेतन (कनिष्ठ कर्मचारी का नाम वेतन अंकित किया जाए)	N.A.
13 नियम 7(8) के संदर्भ में स्थायी वेतन स्थानापन्न वेतन कम होने पर पुनरीक्षित वेतन(यदि लागू हो)	N.A.
14 व्यक्तिगत वेतन , यदि कोई हो -नियम 7(4) तथा नियम 7(6)	N.A.
15 वेतन निर्धारण के उपरान्त पुनरीक्षित परिलब्धियाँ	
(अ) पुनरीक्षित मूल वेतन	57700
(ब) व्यक्तिगत वेतन, यदि पात्रता हो	Nil
योग (अ + ब)	57700
16 आगामी वेतन वृद्धि के बाद वेतन	-
17 आगामी वेतन वृद्धि की तिथि	-
18 अन्य जानकारी	-
	दिनांक 30.08.2017 प्रथम नियुक्ति के 02 वर्ष की परीक्षा अवधि समाप्त होने पर वेतन वृद्धि नियतन की जायेगी

स्थान : गरियाबन्द

दिनांक : 22.10.2018

A.R. Jarmel
(श्री. ए.आर.सी.जेम्स)

प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2018 के अन्तर्गत वेतन नियमन पत्रक

शासकीय सेवक का नाम	श्री चन्द्रभानु पटेल
पदनाम जिस पर वेतन निर्धारण किया	सहायक प्राध्यापक
स्थाई/स्थानापन्न	स्थानापन्न
नियम 6 के अंतर्गत विकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का दिनांक	06.09.2017
विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	15600 - 39100 + 6000
विद्यमान वेतन बैंड	15600 + 6000 = 21600
7 विद्यमान परिलब्धियां :- अ. मूल वेतन ब. मूल वेतन पर दिनांक 01.01.16 से लागू मंहगाई भत्ता योग (अ + ब)	21600 27000 <hr/> 48600
8 अनुक्रमांक 5 में दर्शित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के अनुरूपी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेबल	10
9 अनुक्रमांक 6 में दर्शित मूल वेतन को 2.67 से गुणा करने पर प्राप्त राशि(निकततम रूपये में पूर्णांकित)	55512
10 प्रयोज्य लेबल में अनुक्रमांक 9 पर प्राप्त राशि के समान अथवा उससे उच्चतर कोष्टिका की राशि	57700
11 पुनरीक्षित मूल वेतन(अनुक्रमांक 10 के अनुरूप)	57700
12 नियम 5(7) एवं (7) के अंतर्गत कनिष्ठ शासकीय सेवक के संदर्भ में की गई वृद्धि के फलस्वरूप वेतन (कनिष्ठ कर्मचारी का नाम वेतन अंकित किया जाए)	N.A.
13 नियम 7(8) के संदर्भ में स्थायी वेतन स्थानापन्न वेतन कम होने पर पुनरीक्षित वेतन(यदि लागू हो)	N.A.
14 व्यक्तिगत वेतन , यदि कोई हो -नियम 7(4) तथा नियम 7(6)	N.A.
15 वेतन निर्धारण के उपरान्त पुनरीक्षित परिलब्धियाँ (अ) पुनरीक्षित मूल वेतन (ब) व्यक्तिगत वेतन, यदि पात्रता हो योग (अ + ब)	57700 Nil 57700
16 आगामी वेतन वृद्धि के बाद वेतन	-
17 आगामी वेतन वृद्धि की तिथि	-
18 अन्य जानकारी	दिनांक 06.09.2017 प्रथम नियुक्ति के 02 वर्ष की परीक्षा अवधि समाप्त होने पर वेतन वृद्धि नियतन की जायेगी

स्थान : गरियाबन्द

दिनांक : 22.10.2018


(डॉ. ए.आर.सी.जैस)

प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द(छ.ग.)

प्रपत्र 01

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2018 के अन्तर्गत वेत नियमन पत्रक

1	शासकीय सेवक का नाम	श्री गौतम कुमार कुर्रे
2	पदनाम जिस पर वेतन निर्धारण किया	सहायक प्राध्यापक
3	स्थायी / स्थानापन्न	स्थानापन्न
4	नियम 6 के अंतर्गत विकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतन सरचना में वेतन का दिनांक	13.09.2017
5	विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	15600 - 39100 + 6000
6	विद्यमान वेतन बैंड	15600 + 6000 = 21600
7	विद्यमान परिलब्धियां :- अ. मूल वेतन ब. मूल वेतन पर दिनांक 01.01.16 से लागू मंहगाई भत्ता योग (अ + ब)	21600 27000 <hr/> 48600
8	अनुक्रमांक 5 में दर्शित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के अनुरूपी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेबल	10
9	अनुक्रमांक 6 में दर्शित मूल वेतन को 2.67 से गुणा करने पर प्राप्त राशि(निकततम रूपये में पूर्णांकित)	55512
10	प्रयोज्य लेबल में अनुक्रमांक 9 पर प्राप्त राशि के समान अथवा उससे उच्चतर कोष्टिका की राशि	57700
11	पुनरीक्षित मूल वेतन(अनुक्रमांक 10 के अनुरूप)	57700
12	नियम 5(7) एवं (7) के अंतर्गत कनिष्ठ शासकीय सेवक के संदर्भ में की गई वृद्धि के फलस्वरूप वेतन (कनिष्ठ कर्मचारी का नाम वेतन अंकित किया जाए)	N.A.
13	नियम 7(8) के संदर्भ में स्थायी वेतन स्थानापन्न वेतन कम होने पर पुनरीक्षित वेतन(यदि लागू हो)	N.A.
14	व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो -नियम 7(4) तथा नियम 7(6)	N.A.
15	वेतन निर्धारण के उपरान्त पुनरीक्षित परिलब्धियों (अ) पुनरीक्षित मूल वेतन (ब) व्यक्तिगत वेतन, यदि पात्रता हो योग (अ + ब)	57700 Nil 57700 -
16	आगामी वेतन वृद्धि के बाद वेतन	-
17	आगामी वेतन वृद्धि की तिथि	दिनांक 13.09.2017 प्रथम नियुक्ति के 02 वर्ष की परीक्षा अवधि समाप्त होने पर वेतन वृद्धि नियतन की जायेगी
18	अन्य जानकारी	

स्थान : गरियाबन्द

दिनांक : 22.10.2018


(डॉ. ए.आर.सी. जैवाल)

प्राचार्य

शास. वीर सरेन्दा साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द(छ.ग.)
22.10.


प्रपत्र 01

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2018 के अन्तर्गत वेत नियमन पत्रक

शासकीय सेवक का नाम	श्री युगल किशोर पटेल
पदनाम जिस पर वेतन निर्धारण किया	सहायक प्राध्यापक
स्थाई/स्थानापन्न	स्थानापन्न
नियम 6 के अंतर्गत विकल्प के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का दिनांक	13.09.2017 (अपरान्ह)
विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	15600 - 39100 + 6000
विद्यमान वेतन बैंड	15600 + 6000 = 21600
विद्यमान परिलब्धियां :- अ. मूल वेतन ब. मूल वेतन पर दिनांक 01.01.16 से लागू महगाई भत्ता योग (अ + ब)	21600 27000 <hr/> 48600
अनुक्रमांक 5 में दर्शित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के अनुरूपी वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेबल	10
अनुक्रमांक 6 में दर्शित मूल वेतन को 2.67 से गुणा करने पर प्राप्त राशि(निकमोतम रूपये में पूर्णांकित)	55512
प्रयोज्य लेबल में अनुक्रमांक 9 पर प्राप्त राशि के समान अथवा उससे उच्चतर कोष्टिका की राशि	57700
पुनरीक्षित मूल वेतन(अनुक्रमांक 10 के अनुरूप)	57700
नियम 5(7) एवं (7) के अंतर्गत कनिष्ठ शासकीय सेवक के संदर्भ में की गई वृद्धि के फलस्वरूप वेतन (कनिष्ठ कर्मचारी का नाम वेतन अंकित किया जाए)	N.A.
नियम 7(8) के संदर्भ में स्थायी वेतन स्थानापन्न वेतन कम होने पर पुनरीक्षित वेतन(यदि लागू हो)	N.A.
व्यक्तिगत वेतन , यदि कोई हो -नियम 7(4) तथा नियम 7(6)	N.A.
वेतन निर्धारण के उपरान्त पुनरीक्षित परिलब्धियाँ (अ) पुनरीक्षित मूल वेतन (ब) व्यक्तिगत वेतन, यदि पात्रता हो योग (अ + ब)	57700 Nil 57700
आगामी वेतन वृद्धि के बाद वेतन	-
आगामी वेतन वृद्धि की तिथि	-
अन्य जानकारी	दिनांक 13.09.2017 अपरान्ह प्रथम नियुक्ति के 02 वर्ष की परीक्षा अवधि समाप्त होने पर वेतन वृद्धि नियतन की जायेगी

स्थान : गरियाबन्द

दिनांक : 22.10.2018


(डॉ. ए.आर.सी.जेम्स)

प्राचार्य

शास. वीर सुरेन्द्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गरियाबन्द, जिला-गरियाबन्द(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-26/2017/38-1 राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1035/22/चयन/2017/ज दिनांक 30.07.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र स्त्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रैंड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अर्धीन नियुक्त करता है -

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन शिर्षक
1	2	3	4
1	श्री आशीष कुमार मिश्र आ श्री वेदमणी मिश्र ग्राम-विहरीपुर पो-तिलगाखाना रोपौगज जिला सात रविदास नगर मदीही उ.प्र. 221303	शासकीय नवीन महाविद्यालय सिलफिली	UR
2	तामेश्वरी साहू आ श्री संजयसम साहू ग्राम-आमेशपुर, पो.अरकार तह पाटन,असम-सिकोसा जिला- दुर्ग छ.ग. 491222	शासकीय बाबू छोटेजाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	OBC/UR-F
3	श्री सुरेश कुमार पटेल आ श्री द्वारिका प्रसाद पटेल, ए.० गलीशम पटेल,ग्राम बडी कानी या -एमआई टीआई,कौली बिलासपुर 495009	शासकीय नवीन महाविद्यालय, तपकरा	OBC/UR
4	श्री योगेन्द्र कुमार आ श्री गुलाब चंद्र,ग्राम या पुरेदनपुर,जिला चित्रकूट,उ.प्र. 210202	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय नारायणपुर	UR
5	श्री विशाल सिंह आ श्री चन्द्रमान सिंह 61 डी/6 ई/1 ओम गायत्री नगर तेलीयसगज इलाहाबाद उ.प्र. 211004	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्टनम	UR
6	श्री विवेक कुमार जायसवाल आ श्री राजेन्द्र प्रसाद ए.० शकेश रावत, 1111/1283 पिपलवाली गली पुसना कटरा इलाहाबाद उ.प्र. 211002	शासकीय एच श्री महली मगत महाविद्यालय, कुसमी	UR
7	श्री नीलाम्बर पटेल आ श्री कशीराम पटेल आर्यभट्ट शाडिल्य निवास हेमन्त ज्वलरी की सामने मरिजाद रोड कोटा, रायपुर छ.ग.492010	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	OBC/ UR
8	श्री ओम प्रकाश वर्मा आ श्री गोकुलम वर्मा ग्राम-रसीटा पो.कोसगंटी, खाना जट पलारी जिला बलीदावाजार छ.ग.493228	शासकीय बाला साहब देशपाण्ड महाविद्यालय, कुनकुरी	SC/UR
9	श्रद्धा मिश्रा पति श्री रितेश मिश्रा एन 256 सेक्टर-2 बंदिनदयाल जगन्नाथ नगर भारत कस्टवशन के पास रायपुर छ.ग. 492010	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय शिमगा	UR-F

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियाँ अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयवधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

पृ.क्र. एफ 1-26/2017/38-1

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महासंरक्षक, छ.ग. रायपुर।
- (6) स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रायती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला _____ (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1035/22/चयन/2017/जे दिनांक 30.07.2017 को संदर्भ में सूचनार्थ।
- (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अघेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रायती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अदिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
- (13) संबंधित प्राचार्य _____ की ओर अघेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित को पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सम्पादन एवं आदेश की कठिनाई-2 के अनुसार शक्यपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावे।
- (14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला _____ (छ.ग.)।

(15) संबंधित सर्वश्री

नीलाचर पटेल

कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी

शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विमान को उपलब्ध करावें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(16) आदेश फोल्डर।


अनुराग सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-28/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1039/22/चयन/17/B दिनांक 01.8.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनको कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री तरुण वैजजी, आ. श्री विजय वैजजी, प्लॉट नं. डी-9 पी.डी.नगर स्ट्रीट नं.3 वियेकानंद कालोनी धमतरी छ.ग. 493773	शास.महा. सरिया जिला रायगढ़	UR
2	श्री त्रुषि कुमार चन्द्रा आ. श्री ब्रिज भूषण चन्द्रा, नु.पो.हरौरा, पहाया- बिरा जिला जाजगीर -बांया छ.ग.495661	शास.महा. चन्द्रपुर जिला जाजगीर बांया	OBC /UR
3	श्री योगेश्वर साहू आ.श्री.तातूराम साहू, आम्हात बालोद,छ.ग. 491226	शासकीय कंगला माझी महाविद्यालय डीडी	OBC /UR
4	श्री असीम वाजपेयी आ.श्री रणेश वाजपेयी, सुनाय बाई मुंगेली छ.ग. 495334	शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़	UR
5	श्री यश कुमार आ.श्री राजाराम उमाराव, रुम.नं.4 प्रबुजनथ हॉस्टल बनारस हिन्दु विश्व विद्यालय, वाराणसी उ.प्र. 221005	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल	UR
6	श्री रामकिशोर यादव आ.श्री राधेश्याम यादव, उमा निवास एकता कालोनी प्रगतिनगर नोवा रायपुर छ.ग.	शासकीय महाविद्यालय, भखारा	OBC /UR
7	श्री सजय सप्तश्रुति आ.श्री चन्द्रशंकर सप्तश्रुति, बी 4/17 हनुमानघाट वाराणसी,उ.प्र. 221001	शासकीय दिग्विजय रत्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	UR
8	श्री अतुल कुमार वर्मा आ.श्री प्रदीप कुमार,ग्राम-जगनपुर,पो.हुसैनपुर सुधाना, तह. तांडा,जिला-अम्बेडकर नगर उ.प्र. 224190	शासकीय महाविद्यालय, जनकपुर जिला कोरिया	UR
9	श्री सुधीर कुमार अग्रहरी आ.श्री केशव प्रसाद अग्रहरी, 79 जी.टी.रोड गोपीगंज, नदोही उ.प्र. 221303	शास.महा. कटेकल्याण जिला दन्तोवाडा	UR
10	श्री चन्द्रमान पटेल आ. श्री मधुसूदन पटेल, ग्राम-दर्रा, माडा,पो.मुझार,तह. मरसुडी,जिला-बिलासपुर छ.ग. 495550	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	OBC /UR

8

M-

B-7

	श्री. रामेश्वर कुमार सुब आ. श्री. के.एस. ध्रुव पीली बहन के पीछे सुई सुतार भवन के पास कुहार घाटा फाफनडीह रायपुर छ.ग. 492010	शास.महा. खरोरा जिला रायपुर	ST
	श्री. उपेन्द्र कुमार बरिहा आ. श्री. मकरध्वज बरिहा, मु.पो.कलेम्डा सिधोड़ा, ब्लाया सराईपल्ली,जिला महासमुद्र छ.ग. 493568	शासकीय स्व. राजा वीरेन्द्र महादुर सिंह महाविद्यालय, सरायपाली	ST
44	श्रीमती तुलसी पेंकरा पांडे श्री मोहन लाल पेंकरा, कसडोल नगर पंचायत वार्ड क्र. 5 सिरपुर सोह,जिला- बलीदाबाजार छ.ग. 493335	शासकीय वृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी	ST-F
45	श्री मनोहर कुजूर आ.श्री.नितार कुजूर,ग्राम सईपाठ महुआटोली, पो.-घोलेग,राह. जिला-जसपुर छ.ग. 498338	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग	ST
46	विजय लक्ष्मी देवांगन आ. श्री रातोष कुमार देवांगन, ग्राम न पो. देवरबीजा, राह. बेरला,जिला-बैरतारा छ.ग.491993	शासकीय स्व. देवीप्रसाद चौबे महाविद्यालय, राजा	OBC-F
47	निलिगा आनिल्य आ. स्व.श्री जगमोहन सिंह आनिल्य कन्या आश्रम पाली, राह.-कटघोरा, जिला- कोरवा छ.ग. 495449	शासकीय महाविद्यालय, बरपाली	ST-F
48	श्री योगेन्द्र कुमार धुर्वे आ. श्री भोज राम धुर्वे, ग्राम अगौल,पो.राह.डीकी जिला-बालोद छ.ग. 491223	शासकीय महाविद्यालय, गुरुर	ST
49	श्री दीपक एवका आ.श्री.शोभन एवका,नगर पंचायत लखनपुर जिला सरगुजा छ.ग. 497116	शासकीय लखिडी महाविद्यालय, चिरमिरी	ST
50	श्री सुरेन्द्र कुमार सिग्गा आ.श्री.हजारी लाल सिग्गा, आ.क.10 सृष्टि बिहार मंडर्पि स्वूल रोड भंगला बिलारपुर छ.ग. 495001	शासकीय महाविद्यालय, पंखाजूर जिला कांकेर	ST

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तित (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाण फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दायेदारी का दायदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नाम ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला बिक्रीसालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत दोग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर निर्दोषता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त निवृत्त अधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जति प्रमाण पत्र बाजी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई

 14 -

B4

कारण बताए पूर्वग्रह के बिना उसकी नियुक्ता द्वारा सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी तथा शूरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दावेद्वय होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारी अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपरिस्थिति के समय नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपरिस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रयत्नित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जेरो-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पारापोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवाओं को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1978 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ.ग. लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश यादव)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

पृ.क्र. एफ 1-28/2017/38-1

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।

- दिलेय सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव छ.म. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.म. रायपुर।
- (6) सहायक आफिसर अपर मुख्य सचिव, छ.म. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) अध्यक्ष, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रायती भवन, नया रायपुर (छ.म.)।
- (8) एलेक्टर, जिला _____ (छ.म.)।
- (9) सचिव, उत्तीर्णार्थ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1039/22/सामन/17/II दिनांक 01.8.2017 के संदर्भ में सूचनाार्थ।
- (10) आदेश, जनसम्पर्क, रायपुर छ.म. की ओर अवैधित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख संचालक पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रायती भवन, नया रायपुर (छ.म.)।
- (12) क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा, जिलासपुर/अधिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.म.)।
- (13) संचालित प्रचारार्थ _____ की ओर अवैधित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि कार्यभार चरण करने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कठिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अगवर्ती को कार्यभार चरण करावें।
- (14) जिला कोषालय अधिकाारी जिला _____ (छ.म.)।
- (15) संबंधित सर्वश्री _____

कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी

सहाय पत्र कार्यभार ग्रहण परन्तु विभाग को उपलब्ध करावें।

की ओर सूचनाार्थ एवं आदेशावका कार्यवाही हेतु अवैधित।

- (16) आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव
सूचीसंगत शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा

ब्लॉक -3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

e-Mail : highereducation.cg@gmail.com, Website : highereducation.cg.gov.in

नया रायपुर दिनांक 10/11/18

1288 / आजारी / राज.स्थ. / 2017



प्रति,

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय
..... जिला- (छ.ग.)

विषय :- वेतन व्यवस्था के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत के संबंध में लेख है कि निम्नलिखित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के वेतन राज्य में प्राचार्य/प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत संवर्ग के निम्न शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विलम्ब आगामी आदेश तक आहरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापक का नाम एवं महाविद्यालय का नाम	वेतन आहरण हेतु पद एवं महाविद्यालय का नाम
1	श्रीमती निधि देवान, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर	शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में रिक्त प्राध्यापक गणित के पद से
2	अर्पणा गौतम, सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय ई. राघवेन्द्र राय पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय विलासपुर	शासकीय महाविद्यालय कांतरी, जिला-मुंगेली में रिक्त प्राचार्य के पद से
3	कल्पना कपूर, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय बरपाली	शासकीय महाविद्यालय बरपाली में रिक्त प्राध्यापक वाणिज्य के पद से
5	डॉ. मदनमोहन जोशी, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय कटघोरा	शासकीय महाविद्यालय कटघोरा में रिक्त सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र के पद से
4	श्री गौतम कुमार सुरे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय वीर सुरेन्द्र राय पी.जी. महाविद्यालय गरियाबंद	शासकीय वीर सुरेन्द्र राय पी.जी. महाविद्यालय गरियाबंद में रिक्त ग्रंथपाल के पद से
6	डॉ. एस.पी. भारद्वाज, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय एम.एम.आर. पी.जी. महाविद्यालय चापा	शासकीय एम.एम.आर. पी.जी. महाविद्यालय चापा में रिक्त प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद से
7	श्री शरद चंद मिश्रा, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा	शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा में रिक्त प्राध्यापक समाजशास्त्र के पद से
8	श्री रजनीश यादव, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया	शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया में रिक्त ग्रंथपाल के पद से
9	प्रो. अश्वनी कुमार केशरवानी, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय दीपका	शासकीय महाविद्यालय करतला, जिला-कोरवा में रिक्त प्राचार्य के पद से

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

H/C
11-1-18

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर


18050

1/12/17

सू. क्रमांक 802/1288/आउशि/राज.स्था./2017
प्रतिलिपि -

नया रायपुर दिनांक 10/11/18

1. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय जिला -
(उ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संबंधित अधिकारी को सूचनाार्थ प्रेषित।



अपर सचालक (विद्युत)
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नया रायपुर

E/c

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-27/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1037/22/चयन/17/O दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री सुशील कुमार गुप्ता आ.स्व श्री उमाशंकरगुप्ता, म.न. 426 वार्ड नं. 2 तुलसीनगर कोरवा छ.ग. 495677	शासकीय इंजीनियर विश्वेशरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरवा	UR
2	स्नेहा थवायत आ. श्री सत्येन्द्र कुमार चौरसिया, कोआपरेटिव बैंक के पीछे, गांधी चौक जांजगीर, जिला-जांजगीरचांपा छ.ग. 495668	शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़ जिला जांजगीर	OBC/ UR-F
3	श्री तिलक चन्द्र देवांगन आ.श्री पूरन सिंह देवांगन, ग्राम-सम्बलपुर, पो.बमनीबाजार जिला कोण्डागांव, छ.ग. 494226	नवीन शासकीय महाविद्यालय, तोकापाल	OBC/ UR
4	श्री मुकेश कुमार कामले आ.श्री पंचराम कामले, सहायक जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल, जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. 494001	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	SC/ UR
5	श्री तरुण कुमार पदमवार आ.उमेश्वर सिंह पदमवार, म.क्र. 868 के शिवशंकर होटल के पीछे महादेवघाट चौक रायपुर छ.ग. 492013	शासकीय महाविद्यालय, धमधा	UR
6	श्री धर्मेन्द्र कन्नीजे आ.श्री.के.एन कन्नीजे, 201 जी रिसाली सेक्टर भिलाई नगर, जिला-दुर्ग छ.ग. 490008	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया	OBC/ UR
7	श्री मधुसूदन सिंह राजपूत आ. श्री जयजयराम राजपूत, ग्राम- सेगरिया, पो.साफल,तह. लोरमी,जिला मुंगेली छ.ग. 495115	शासकीय इन्दिरा गांधी महाविद्यालय पंडरिया	UR
8	श्री गौतम कुमार कुर्रे आ.श्री अनन्तु कुमार कुर्रे,मु.पो.-बिटकुली, खाया, तह. थाना-बिल्हा, जिला बिलासपुर छ.ग. 495224	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	SC/ UR
9	श्रीमती निधि सिंह पति श्री अरुण कुमार सिंह, हाउस क्र. 16 कालीमाई वार्ड,मुंगेली, जिला -मुंगेली छ.ग. 495334	शासकीय राजीवगांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी	UR-F

Y

M

3	प्रमोला नागवंशी पति श्री राधेलाल नागवंशी, ग्राम- छिलपावन, पो.व्हाया - झलप, थाना पट्टेवा, जिला -महासमुंद छ.ग. 493551	शास.चन्द्रपाल जिला महासमुंद	महा.पिधौरा	SC-F
40	मनिषा तिग्गा पति श्री राजकुमार जायसवाल, मनेन्द्रगढ़ रोड कोल्ड स्टोरेज के सामने महापौर पारा सुभाष नगर अबिकापुर, जिला- सरगुजा छ.ग.497001	शासकीय राजपुर	महाविद्यालय,	ST-F
41	दीपा सोम रावटे पति श्री भोजराम रावटे, एफ-29 रिक्टर व्यू कॉलोनी कोनी बिलासपुर छ.ग. 495009	शासकीय नयनदास महाविद्यालय, भटगांव	राजमहंत महिलांग	ST-F
42	श्री तुलेश्वर सिंह धुवे आ श्री कुंजल सिंह धुवे, ग्राम-हीरापुर, पो.दशरंगपुर, तह.कवर्धा जिला- कबीरधाम छ.ग.491336	शासकीय नारायण बिलाईगढ़	शहीद वीर महाविद्यालय,	ST

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग

75

m-4

लाईसंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश सादव)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

पृ.क्र. एफ 1-27/2017/38-1

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1037/22/चयन/17/O दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-34/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1032/22/चयन/17/C दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर वेतन बैंड रुपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रुपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंग आ श्री रामाश्रय सिंह ग्राम रमिलियां पो सरैया नं. 1 धाना -चोलापुर जिला-वाराणसी उ.प्र. 221101	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर जिला बलरामपुर	UR
2	श्री कमल सिन्हा आ श्री यशवत सिन्हा कलबपारा वार्ड 26 नहर कासिम के बास महासमुद छ.ग. 493445	शासकीय महाविद्यालय, तमनार	OBC /UR
3	अर्पणा गौतम आ श्री एस.एस.गौतम एस.ई.सी.एल. आफिस के सामने गणपति कार गैरेज के पास सीपत रोड सरकण्डा बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय ई. राधवेन्द्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर	OBC /UR-F
4	श्री सनत कुमार आ स्व श्री रामा देवांगन, ग्राम पो सल्का नवागांव थाना कोटा, जिला बिलासपुर छ.ग. 495113	नवीन शासकीय महाविद्यालय, सालेवारा	UR
5	श्री राजीव यादव आ श्री दशरथ यादव क्वा. 345ई ब्रह्मपुत्र छात्रावास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली 110067	नवीन शासकीय महाविद्यालय, मैनपुर	UR
6	नर्मता पाण्डेय आ श्री प्रवीण पाण्डेय अशोक नगर सत्या मेडिकल स्टोर के सामने गली विरकोना रोड सरकण्डा बिलासपुर 495001	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर	UR-F
7	प्रतीमा सिंह आ श्री राम सुहावन सिंह पटेलनगर चौराहा रक्षपालपुर खखरेरु फतेहपुर उ.प्र. 212656	शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, बाइफनगर	UR-F
8	श्री दिनेश कुमार संजय आ स्व श्री गंगाराम संजय, मु.पो. चिखली थाना तह.पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग. 496100	शास.महावि.खरसिया	SC /UR
9	श्री विनय कुमार देवांगन आ श्री कोदूराम देवांगन म.क.8 वार्ड डोंगरीपारा श्रीहनुमान मंदिर कोण्डागांव छ.ग.494226	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फरसागांव	OBC /UR
10	पायल लिलहारे प्रति श्री श्याम मोहन पटेल, 398/4 बजरग कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास जबलपुर म.प्र.482001	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़	UR-F
11	विजय लक्ष्मी गौड़ पति. श्री विजेन्नी विक्रम सिंह द्वारा श्री अश्विनी ठकराल मोहल्ला कानून गोथान निकट साईमंदिर अमरोहा उ.प्र. 244221	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर	UR-F

५

	कामिनी पति श्री दीपक सिंग बी 22 कन्दा विद्यालय स्टाफ क्वार्टर डोमनहिल चिरमिरी जिला कोरिया छ.ग. 497557	शास.कन्या महा. दकुण्डपुर	UR-F
13	श्रीमती प्रमिला पटेल पति श्री पतिक राम पटेल, ग्राम पो देवगांव तह.ब्रमकेला जिला रायगढ़ छ. ग.496554	शास.महा. सरिया जिला रायगढ़	OBC /UR-F
14	श्रीमती चैताली सलुजा पति श्री प्रवीण कुमार सलुजा ए/1 बालाजीपुरम कॉलोनी बसंत विहार के पास लिगियाडीह बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय जे.पी. दर्मा पी.जी. कला/यागिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर	UR-F
15	श्री राम आशिष तिवारी आ श्री दातादीन तिवारी, महरछा जंघई हण्डिया सरायममरेज इलाहाबाद छ.प्र. 212401	शास.महा. कटेकल्याण जिला दन्तोवाड़ा	UR
16	श्री चन्द्रशेखर सिंग राजपूत आ श्री रामसनेही राजपूत महाराणा प्रताप उच्च माध्य.विद्यालय झाफल पो.आ.झाफल तह.धाना लोरमी जिला मुंगेली छ.ग. 495115	शासकीय महाविद्यालय, मोहला	UR
17	श्री गिरजा शंकर गौतम आ श्री ऋषि कुमार गौतम, केशरिया कुंज म.न.102 कोटा रायपुर छ. ग. 492010	शास.महा. भैरमगढ़ जिला बीजापुर	UR
18	श्री यशुदेव प्रसाद पटेल आ श्री भास्कर लाल पटेल, ग्राम पो लोहसी, ज्ञाया खरीद जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. 495556	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर	OBC /UR
19	श्री जयराम कुरे श्री गणेश राम कुरे आ.क.16 ग्राम लटियाडीह पो आ कुसमुल अड़मार जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. 495695	शासकीय महात्मा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया	SC
20	श्री छविलाल सिदार आ श्री सालिक राम सिदार ग्राम बोन्दा पो आ.छिछौर उमरिया तह.पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग.496440	शास.पीजी महा. जगदलपुर	ST /UR
21	श्री विरूलाल बरगाह आ श्री दशरथ लाल बरगाह, ग्राम नगोई पो. बैमा जिला बिलासपुर छ. ग. 495008	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा	OBC /UR
22	श्री सत्यप्रकाश तिवारी आ श्री इन्द्रप्रसाद तिवारी हिन्दी विभाग इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जिला-राजनादगांव छ.ग. 491881	शासकीय वीर गैद सिंह महाविद्यालय, फांजूर	UR
23	श्रीमती सरिता पाण्डेय पति श्री रमेश पाण्डेय, नवज्योति प्रेस के बगल में भीमातालाब के पास जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा छ.ग. 495668	शासकीय नवीन महाविद्यालय, हसंद	UR-F
24	श्रीमती करुण गायकवाड़ पति श्री आलोक गायकवाड़ वार्ड 7 मकान नं. 117 केयर एडक्योर हॉस्पिटल के पीछे तिलक नगर बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय डॉ. भंगर सिंह पोर्ते महाविद्यालय, रंझा	UR-F-O
25	श्री गजेंद्र कुमार कश्यप आ स्व श्री सुरेन्द्र कुमार कश्यप ग्राम पो लिटिया सेमरिया थाना बोरी तह. धमधा जिला दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्टनम	OBC /UR
26	श्री बालमिकी साहू आ श्री नंदकुमार साहू ग्राम सकरी,पो.ससहा तह.पलारी जिला बलौदाबाजार छ.ग. 493228	शास.महा. खरोरा जिला रायपुर	OBC/UR

8

	श्री विनय कुमार सनमानी आ श्री साधु साई ग्राम गराईबंध पोथाना फरसाबहार तह.कासाबेल जिला- जशपुर छ.ग. 496242	शासकीय स्नातकोत्तर अम्बिकापुर	राजीवगांधी महाविद्यालय,	ST
59	श्री अशोक कुमार नेतान आ श्री सुखराम नेतान, ग्राम पो केरावाही तह.माकड़ी जिला कोण्डागांव छ.ग. 494229	शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल	अरविन्द	ST
60	श्री उत्तरा कुमार सिदार आ श्री बंशीलाल सिदार ग्राम पो कांटा हरदी थाना कोतरा रोड जिला रायगड छ.ग. 496001	शासकीय दुलदुला	महाविद्यालय,	ST
61	श्री दीनदयाल दिल्लीवार स्व डॉ तेजराम दिल्लीवार c/o श्री सी.के.बारसागड़े बाजार चौक सिकोसा तह.गुण्डरदेही जिला बालोद छ.ग. 491222	शास. महाविद्यालय, जिला- बालोद	बेलोदी,	OBC-OH
62	श्री विष्णु राम ठाकुर आ श्री बालाराम ठाकुर ग्राम पो बलोदा तह.सराईपाली जिला-महासमुद छ.ग. 493558	शासकीय महाविद्यालय, तपकरा	नवीन	ST
63	श्री रमेश कुमार खैरवार आ श्री दाता राम खैरवार ग्राम पो. धौरपुर विख.तह.लुण्ड्रा जिला सरगुजा छ.ग. 497101	शासकीय महाविद्यालय, रामानुजगंज	लरंगसाय	ST
64	श्री रधिक कुमार धुव आ श्री ईशर राम धुव ग्राम बोडरा पो. डाही तह.जिला धमतारी छ.ग. 493773	शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागांव	गुडाधुर	ST
65	श्रीमती चम्पा मरकाम पति श्री फरसूराम मरकाम ग्राम पो.तह. माकड़ी प्लॉटपारा जिला कोण्डागांव छ.ग. 494237	नवीन महाविद्यालय, फरसगांव	शासकीय	ST-F
66	श्रीमती सुसन्ना लकड़ा पति श्री रीलेन्द्र लकड़ा शिवजीनगर दत्तदल सिंवनी विकटेश स्कूल के पास पो.सडडू रायपुर छ.ग. 492007	शासकीय स्व. चौबे महाविद्यालय, गंडई	स्व. देवीप्रसाद	ST-F
67	श्री जसराम नायक आ श्री देवनाथ नायक ग्राम कोटेरा.पो. सम्बलपुर तह.डोडीलोहारा जिला बालोद छ.ग. 491771	शासकीय गुप्त महाविद्यालय, बालोद	धनश्याम सिंह स्नातकोत्तर	ST
68	प्रेमा कुमारी कुजूर पति श्री अन्धेश केरकेट्ट। म. नं.5/584 अयोध्यानगर रियरोड 2 नेहरूनगर बिलासपुर छ.ग. 495001	शास.महा. जिला कवर्धा	सहसपुर लोहारा	ST-F

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला शिक्षासालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारीयां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवाओं को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश्वर कादव)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1032/22/धयन/17/C दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अदिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
- (13) संबंधित प्राचार्य, की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
- (14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला (छ.ग.)।
- (15) संबंधित सर्वेधी सुगल किशोर पटेल कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(16) आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

अटल नगर, दिनांक 05/07/2019

क्रमांक एफ 1-46/2012/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (भूगोल) के पद हेतु संशोधित चयन सूची से चयनित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (भूगोल) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- (सातवें वेतनमान में संशोधित अनुसार) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	प्रवर्ग	चयन रिमार्क
1	2	3		4
1	श्री संतकुमार बंजारे आ. श्री मोतीराम बंजारे, पीडब्ल्यू डी-84 कोतवाली सेक्टर-0 भिलाई जिला-दुर्ग छ.ग. 490006	शासकीय महाविद्यालय, गरियाबंद	SC	UR
2	श्री सुरेश कुमार साकरे आ. श्री हीरालाल साकरे ग्राम-लमानिनगाठा पो.-मुसरा, जिला-राजनांदगांव छ.ग. 491445	शासकीय महाविद्यालय, बरमकेला, जिला-रायगढ़	SC	SC

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अग्रिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दायेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र मान ज्युडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला शिक्षासालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुरंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसको जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारीयें अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

M. S. 11/19

1/2/1

7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अन्यथा स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियम, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 एवं 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा दिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्ति किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयवधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयं निरस्त माना जायेगा।
12. इस आदेश में कोई टकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ.ग. लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012 रिट पिटीशन(सी)क्रमांक 592/2012 रिट पिटीशन(सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन(सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/ निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यापाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सरोज उईके)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

अटल नगर, दिनांक 05/07/2019

पृ.क्र. एफ 1-46/2012/38-1
प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर
- (6) स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला-गरियाबंद/रायगढ़ (छ.ग.)।

- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 2197 / 95 / 2010 / वचन दिनांक 29.12.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (10) आद्युक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इस प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर / अबिकापुर।
- (12) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, गरियाबंद / बरमकेला, जिला-रायगढ़ की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कड़िका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अन्यथा को कार्यभार ग्रहण करावें एवं शपथ पत्र की छायाप्रति विभाग को भी भेजें।
- (13) जिला कोषालय अधिकारी, जिला -गरियाबंद / रायगढ़ (छ.ग.)।
- (14) संबंधित श्री स्नेह कुमार खंजारे की ओर सूचनार्थ प्रेषित। कृपया कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही शपथ पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (15) आदेश फोल्डर।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

14

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::
नया रायपुर
-- 0 --

पंजीकृत डाक-से.

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

क्रमांक 3965 /3196/2012/38-1 :: राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 2052/95/2010/21/चयन, दिनांक 29.08.2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर वेतन बैंड 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6000/- में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

अ. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
1	धर्मेन्द्र सिंग गुप्ता कबाड़ी के पीछे, पुराना बाजार, दल्ली राजहरा, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन कोड 491228	शासकीय रानी रश्मिदेवी महाविद्यालय छत्तीसगढ़, जिला-राजनांदगांव	अनारक्षित
2	मनोज कुमार साहू व्याख्याता शास.आदर्श उ.मा.वि.सक्ती, जिला-जांजगीर-सांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495689	शासकीय महात्मा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय छत्तीसगढ़, जिला-रायगढ़	अनारक्षित
3	नितुति जेम्स ए/15/शैलेन्द्र नगर अमेरी पोस्ट-मंगला, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़	शासकीय डॉ.भवर सिंह पोर्टे महाविद्यालय पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर	अनारक्षित महिला
4	संजय कुमार धनवानी एक - 11, श्रीराम प्लाजा, सिटी कोतवाली के पास, गोलबाजार, बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495001	शासकीय महाविद्यालय सनावल, जिला-बलरामपुर	अनारक्षित
5	नीलम त्रिवेदी द्वारा श्री सनत कुमार त्रिवेदी ईदगाह रोड, जूनी लाईन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495001	शासकीय महाविद्यालय मरवाही, जिला-बिलासपुर	अनारक्षित महिला
6	मनोज कुमार शर्मा द्वारा श्री सीताराम शर्मा क्लब पारा पंचशील वार्ड-19 पो.महासमुंद, जिला-महासमुंद छत्तीसगढ़ पिन कोड- 493445	शासकीय सुखराम नाग महाविद्यालय, नगरी सिहावा, जिला-धमतरी	अनारक्षित

अ. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5.
7	डॉ. जवाब राजपेयी 1302, ग्रीन गार्डन कॉलोनी, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड- 495001	शासकीय महाविद्यालय रतनपुर जिला-बिलासपुर	अनारक्षित महिला
8	शेख तस्लीम अहमद द्वारा जनाब एम.एम.अहमद मगरपारा चौक, कब्रस्तान रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड-495001	शासकीय स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय, नारायणपुर जिला-नारायणपुर	अनारक्षित
9	शिवेश जैन "आकांक्षा भवन" नोवा आफिस के पास, सीसीएन आफिस के पीछे, वेयर हाऊस रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495001	शासकीय निरंजन केशरवानी महाविद्यालय, कोटा, जिला-बिलासपुर	अनारक्षित
10	अरूण कुमार गुप्ता सदर बाजार सप्तेरवरी चौक धाम्पा, जिला-जाजगीर धांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495671	शासकीय नवीन महाविद्यालय गोबरा नवापारा जिला-रायपुर	अनारक्षित
11	चेतना सोनी गोस्वामी जनरल स्टोर के सामने, अश्वनी नगर, हनुमान नगर, रायपुर जिला-रायपुर पिन कोड- 492001	शासकीय महाविद्यालय जामगांव (आर) जिला-दुर्ग	अनारक्षित महिला
12	मदन लाल कश्यप ग्राम-उरक पुर पो कोठी, ब्याहा-लोरेमी, जिला-बिलासपुर पिन कोड- 495115	शासकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम	अनारक्षित
13	बुद्धदेव प्रसाद द्वारा श्री प्रेमशंकर पाटनवार, पाटनवार गली, सीपत रोड, सरकण्डा, बिलासपुर पिन कोड-495004	शासकीय महाविद्यालय नेवाधान, जिला-सूरजपुर	अनारक्षित
14	धनू भूषण मिश्रा द्वारा श्री माधव प्रसाद मिश्र एस.डी.एम.बंगला के पास, सिविल कालोनी सूरजपुर जिला-सरगुजा पिन कोड- 497239	शासकीय महाविद्यालय ओड़गी, जिला-सूरजपुर	अनारक्षित
15	एकता रानी मक्कड़ द्वारा श्री हंसराज मक्कड़ श्रीराम टॉकीज रोड, गंजपारा, जिला-महासमुंद पिन कोड-493445	शासकीय छेमराज लक्ष्मीचंद महाविद्यालय बागबाहरा, जिला-महासमुंद	अनारक्षित महिला
16	नीति देवागन द्वारा श्री सनता कुमार मेहर नरसिंह मंदिर गली, कोष्ठा पारा पैलेस रोड, जिला-रायगढ़ पिन कोड-496001	शासकीय संत गहिरागुरु रानेश्वर महाविद्यालय लैलुंगा, जिला-रायगढ़	अनारक्षित महिला

100

अ. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	वयन रिमार्क
1	2	4	5
17	स्मिता बर्गे द्वारा श्री अरविन्द बर्गे 174 समता कालोनी, रायपुर पिन कोड-492001	शासकीय नवीन महाविद्यालय लखन, जिला-बलौदाबाजार	अनारक्षित महिला
18	श्रीमती मोना चौहान द्वारा श्री गणपत चौहान, विजय सोप गली, फाफाडीह चौक, रायपुर पिन कोड- 492001	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, धुरा, जिला-सुरजपुर	अनारक्षित महिला
19	कमल किशोर प्रधान ग्राम-कोदाभाठ (बरदेभाटा) पोस्ट-कांकेर, तह-कांकेर, जिला कांकेर, पिन कोड- 494334	शासकीय महर्षि दाल्मिकी महाविद्यालय भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर	अनारक्षित विकलांग
20	आबिद हसन खान द्वारा डॉ.कासिम हसन खान तारबाहर, एफ. सी. आई. रोड, बिलासपुर पिन कोड-495001	शासकीय महाविद्यालय रामानुजनगर, जिला-सुरजपुर	अनारक्षित
21	गजानंद कुडके द्वारा खेमराज नायक वार्ड क्र-4, जैन मंदिर के पीछे, पुराना धाना पारा, बागबाहरा, जिला-महासमुंद पिन कोड 493449	शासकीय वीरगंगा अवंतिबाई महाविद्यालय, धुईखदान, जिला-राजनांदगांव	अनारक्षित
22	जीवन प्रभाकर गोरि टिकरापारा मन्नु चौक, वार्ड क्र. 22, मकान नं. 164, बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495004	शासकीय मदनलाल शुक्ला महाविद्यालय सीपत, जिला-बिलासपुर	अनारक्षित
23	दिनेश कुमार नाग, वीरभद्र नगर, मारवाड़ी, कब्रिस्तान के पास रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 492001	शासकीय महाविद्यालय बलौदा, जिला-महासमुंद	अनारक्षित
24	अशोक वर्मा नया सरकंडा, सीपत रोड बसत कॉम्प्लेक्स के सामने, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495001	शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया	अनारक्षित
25	विनेश कुमार सोनी शाप - 51 "ए" मार्केट सेक्टर-8, मिलार्डनगर दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड- 490006	शासकीय महाविद्यालय बोडला, जिला- कबीरधाम	अनारक्षित
26	रविन्द्र कुमार ध्वाइत, अखरा भांठा रोड, शिव मंदिर के पास, सक्ती, पोस्ट- सक्ती, जिला-जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495689	शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर, जिला-सुरजपुर	अनारक्षित
27	पवन कुमार चेतानी होम्योपैथिक क्लीनिक, डॉ.श्वेता चेतानी, सिन्धी कॉलोनी, जरहाभाटा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड- 495001	शासकीय महाविद्यालय सिलफिली, जिला-सुरजपुर	अनारक्षित

(Handwritten Signature)

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिनांक
1	2	4	5
28	छाभू लाल तारक मानस चौक, गरियाबंद जिला-रायपुर पिन कोड- 493889	शासकीय महाविद्यालय देवभोग, जिला-गरियाबंद	अनारक्षित
29	मोहन लाल वर्मा ग्राम-तरौ, पोस्ट-पटेवा काया-राजिम, तह.-अमनपुर जिला-रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड- 493885	शासकीय राजीवलोचन महाविद्यालय राजिम, जिला-गरियाबंद	अनारक्षित
30	सुनील कुमार द्वारा श्री जे.पी.अग्रवाल शिक्षाली सेक्टर, भिलाई जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड- 490006	शासकीय महाविद्यालय बोरी, जिला- दुर्ग	अनारक्षित
31	जितेन्द्र कुमार शर्मा बड़ा बाजार, मिट मार्केट के पास, मुर्गेली, जिला-बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495334	शासकीय महाविद्यालय सरगांव, जिला-मुर्गेली	अनारक्षित
32	राधेश्याम साहू द्वारा श्री खेमलाल बेवांगन पुस्तना बस स्टैण्ड कुरुद, जिला-धमतरी छत्तीसगढ़ पिन कोड- 493663	शासकीय राजीव गांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी जिला-मुर्गेली	अनारक्षित
33	डॉ. मंजुलता साव द्वारा डॉ.जे.एल.साहू, जावाहर नगर, क्वारं. 88, धमधा रोड दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 491001	शासकीय महाविद्यालय बोरी, जिला-दुर्ग	अनारक्षित महिला
34	अमित कुमार तिवारी द्वारा श्री हरिनारायण तिवारी, 5 सिविल लाईन, सिधी धर्मशाला के पीछे, सागर, (मध्यप्रदेश) पिन कोड- 470001	शासकीय गुंडापुर महाविद्यालय, कोण्डागांव, जिला- कोण्डागांव	अनारक्षित
35	मृगेश कुमार ग्राम-झगरहा पोस्ट-रिसवी जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन कोड- 495683	शासकीय महाविद्यालय, दीपकर, जिला-कोरबा	अ.पि.वर्ग
36	भुवनेश्वर बुनियाद नगर, रेल्वे क्रासिंग के पास, जगदीश सायकल स्टोर्स के पीछे, मनपुरी, रायपुर जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 493221	शासकीय महाविद्यालय पण्डातराई, जिला - कबीरधाम	अ.पि.वर्ग

(Handwritten Signature)


11/8/11

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	व्ययन रिमाक
1	2	4	5
70	प्रेम प्रकाश कुपूर पुलिस चौकी नैला पो.आ.-जांजगीर जिला-जांजगीर-बांण छाण्ड पिन कोड-496888	शासकीय महाविद्यालय राजपुर, जिला- बलरामपुर	अनु. जनजाति
71	कुल अजुलता अर्ना द्वारा-श्री द्वारिक प्रसाद जायसवाल, पुनन बत लैम्ड पाली जिला-कोरबा छाण्ड	शासकीय लखन प्रसाद छाण्ड महाविद्यालय सारांग, जिला-रायचूर	अनुजाति महिला
72	सशिता देवी सेठ बसंत लाल शर्मा, महर कोरिबर के पास, अम्बिकापुर सरगुजा, जिला-सरगुजा, छाण्ड पिन कोड-497001	शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर जिला-सरगुजा	अनु. जनजाति महिला
73	अनुष्ठा दीवान हेमनगर, कोडिया हाऊस के पीछे, बिलासपुर, छाण्ड पिन कोड-495004	शासकीय महाविद्यालय डबर, जिला-जांजगीर-बांण	अनु. जनजाति महिला
74	श्रीमती विनीता गौतम द्वारा-श्रीमती रेशम देवी कुर्, कमला नेहरू कन्या छात्रावास, शहीद चौक, चाटापार, बिलासपुर, छाण्ड पिन कोड-498001	शासकीय कन्या महाविद्यालय बेनेतर, जिला-बेनेतर	अनुजाति महिला

- यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दायेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
- आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियुक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र

- फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही, भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारीयों अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।
 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छोगो सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छोगो लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एसओकेओ चौधरी)
उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

पृ. क्रमांक 3966 / 2012/38-1
प्रतिलिपि :-

- ✓(1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- ✓(2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- ✓(3) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- ✓(4) विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- ✓(5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।

//10//

- (6) कलेक्टर, जिला..... (छ.ग.)
की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रहित।
- (7) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक
2052/95/2010/21/सचन, दिनांक 29.08.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- ✓(8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गाजुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर
रायपुर छ.ग।
- (9) संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर छागण की ओर अग्रहित कर आदेशानुसार सूचित
है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- ✓(10) अपर संचालक, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गाजुन स्नातकोत्तर
विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग।
- (11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रहित।
- (12) संबंधित - प्रचार्य, शासकीय महाविद्यालय..... की
ओर अग्रहित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित
के पहचान गत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर
स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कलिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के
उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
- ✓(13) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला.....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रहित।
- (14) संबंधित - छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर।
- (15) आदेश फोल्डर।


उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग